2024/755

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़

देवीलाल बनाम सहीराम

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 198 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
09.12.2024	प्रार्थी देवीलाल की तरफ से वकील श्री दुलीचन्द अठवाल ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। रीडर की जांच रिपोर्ट के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र एवं सलग्न दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि चक 5 आरपीएम के प.नं. 177/26(38) कि.नं. 1/1 की 0.228 है. भूमि की अप्रार्थी रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखें व रहन बैय करने से निषेद्ध रहें। यह निषेधाज्ञा रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थी, अप्रार्थी को साधारण डाक के साथ-साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 10.01.2025 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	
10.01.2025	1 कुलाए [illegible] उपस्थित/PU मार्फत [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] रास्ता [illegible] दिनांक [illegible] को पेश हो।	
10.3.2025	1 कुलाए [illegible] उपस्थित/PU मार्फत [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] रास्ता [illegible] दिनांक [illegible] को पेश हो।	
18.5.2025	[illegible] उपस्थित/PU मार्फत [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] रास्ता [illegible] दिनांक [illegible] को पेश हो।	
19.5.2025	[illegible] अधिकारी [illegible] विस्थापन हो चुका। अतः [illegible] कार्यवाही की आवश्यकता नहीं। अतः प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] की जाकर बाद तकमील खाता दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.05.28 18:44:35 IST
Reason: SelfAttested